

## BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

## PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 332 OF 2024

**IN THE MATTER OF:**

ATS ONE HAMLET APARTMENTS OWNERS ASSOCIATION

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. AND ORS.

...RESPONDENTS

**INDEX**

| S.NO. | PARTICULARS                                                                                                                                                                                    | PAGE NO. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.    | ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF<br>DIVISIONAL FOREST OFFICER, GAUTAM<br>BUDDH NAGAR IN COMPLIANCE OF THE<br>ORDER DT. 10.04.2025 PASSED BY THE HON'BLE<br>NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI |          |
|       | ANNEXURES                                                                                                                                                                                      |          |
| 2.    | COPY OF THE LETTER DT. 30.04.2026 HAS BEEN<br>ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1                                                                                                                 |          |
| 3.    | COPY OF THE LETTER DT. 17.07.2026 HAS BEEN<br>ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2                                                                                                                 |          |

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON  
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.  
[Bhanwar09jadon09@gmail.com](mailto:Bhanwar09jadon09@gmail.com) 9639286572

Date: 25.07.2026

Place: NOIDA



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 332 OF 2024**

**IN THE MATTER OF:**

**ATS ONE HAMLET APARTMENTS OWNERS ASSOCIATION**

**...APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF U.P. AND ORS.**

**...RESPONDENTS**

**ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST  
OFFICER, GAUTAM BUDDH NAGAR IN COMPLIANCE OF THE  
ORDER DT. 10.04.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN  
TRIBUNAL, NEW DELHI**

I, Rajanikant Mittal, aged about 42 years s/o Shri Ramesh Chand Gupta presently posted as Divisional Forest Officer, Gautam Buddh Nagar, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.





2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

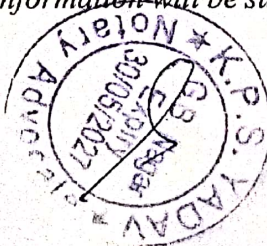
3. That the above-captioned matter was last listed for hearing on 10.04.2026, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

*"2. Learned Counsel appearing for the State has referred to the affidavit of DFO, Gautam Budh Nagar dated 04.02.2026 and has submitted that since no trace of the felled trees was found, therefore, DFO, Gautam Budh Nagar will supply the necessary information on the basis of the method which has been disclosed in the affidavit dated 07.04.2025 as follows:-*

*"xxx.....xxx.....xxx iii.*

*Method of Assessment Sampling was conducted on the adjacent 3 plots through random plotting methodology. Specifically, squares measuring 16 meters by 16 meters were marked on each of the three plots, and a detailed enumeration of standing trees within each square was carried out. This method ensured a fair approximation of the trees felled as the remaining stumps of the felled trees were removed from the site. Copies of the photographs of sampling has been annexed herewith as ANNEXURE A-5.(Colly)*

3. He submits that above information will be supplied to the UPPCB within one week."

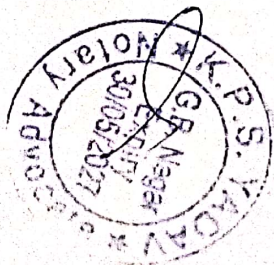




4. That in compliance of the aforesaid order, a detailed report was provided by the Range Forest Officer, Dadri, vide letter dated 27.04.2026 regarding the number of cut trees, Cost Factor, Trunk area of tree, Species Factor, Condition Factor, Location Factor, and Royalty Value. Based on this report, the letter no. 5525/35-1 dated 30.04.2026 was sent from office of divisional forest officer, Gautam Buddh Nagar to office of Regional officer, Pollution control Board, Noida. The Copy of the letter dt. 30.04.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1**.
5. That the Deponent again followed up with the UPPCB vide letter no. 319 dt. 17.07.2026 and requested to take necessary action.
- Copy of the letter dt. 17.07.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2**.
6. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

*Rajesh***DEPONENT****VERIFICATION**

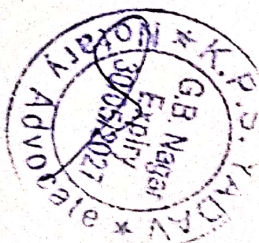
Verified at NOIDA on this 25th day of July, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 6 are believed to be





true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

*Rajendra*  
**DEPONENT**



**ATTESTED**  
**K.P.S. YADAV**  
**NOTARY PUBLIC**  
**Reg. No. 4123**

**24 JUL 2026**



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई-1, सै0-1, नौएडा।

पत्रांक: 5525 /35-1, गौतमबुद्धनगर, दिनांक 30- अप्रैल, 2026

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
नौएडा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0-332/2024, ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1- आपके कार्यालय का पत्रांक-1638/L-192/25, दिनांक 24.01.2026।  
2- इस कार्यालय के पत्रांक-3011/3-1, दिनांक 08.12.2025।  
3- आपके कार्यालय का पत्रांक-1536/L-1925/25, दिनांक 14.01.2026।  
4- इस कार्यालय का पत्रांक-3935/35-1, दिनांक 27.01.2026।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0-332/2024, ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 10.04.2026 आदेश पारित किया गया है, जिसके प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

"....1. Learned Counsel appearing for the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) has referred to the communication dated 24.01.2026 sent by Regional Officer, UPPCB, NOIDA to the DFO, Gautam Budh Nagar, Forest Division, requesting him to disclose the number of trees which have been cut, cost factor, trunk area of trees, species factor, condition factor, location factor, royalty value etc; for calculating the environmental compensation.

2. Learned Counsel appearing for the State has referred to the affidavit of DFO, Gautam Budh Nagar dated 04.02.2026 and has submitted that since no trace of the felled trees was found, therefore, DFO, Gautam Budh Nagar will supply the necessary information on the basis of the method which has been disclosed in the affidavit dated 07.04.2025 as follows: -

"xxx.....xxx.....xxx iii. Method of Assessment Sampling was conducted on the adjacent 3 plots through random plotting methodology. Specifically, squares measuring 16 meters by 16 meters were marked on each of the three plots, and a detailed enumeration of standing trees within each square was carried out. This method ensured a fair approximation of the trees felled as the remaining stumps of the felled trees were removed from the site. Copies of the photographs of sampling has been annexed herewith as ANNEXURE A-5.(Colly)

3. He submits that above information will be supplied to the UPPCB within one week.

4. The UPPCB may consider this information and do the needful and submit the report before the next date of hearing.

5. List on 27.07.2026..."

इस कार्यालय के पत्रांक-3935/35-1, दिनांक 27.01.2026 द्वारा उक्त सूचना आपको पूर्व में भी प्रेषित की जा चुकी है।

पुनः उक्त वाद में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 का अनुपालन में हेतु विषयगत प्रकरण में काटे गये वृक्षों की संख्या, Cost Factor, Trunk area of tree, Species Factor, Condition Factor, Location Factor, Royalty Value सम्बन्धी सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी के पत्रांक-1874/35-1, दिनांक 27.04.2026 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विस्तृत आख्या संलग्न कर आपको प्रेषित है (संलग्नक-1)।



अतः आपसे अनुरोध है कि मा० न्यायालय के आदेश दिनांकित 10.04.2026 का अनुपालन कर मा० न्यायालय में निर्धारित तिथि से पूर्व अवगत कराने का कष्ट करें तथा इस कार्यालय को कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

प्रकरण मा० एन०जी०टी० के आदेश के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

<sup>१२</sup>  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,  
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 5525 /35-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, मेरठ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।
3. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

<sup>१२</sup>  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,  
गौतमबुद्धनगर।



कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, दादरी रेंज, ई-1, सै0-1, नौएडा (गौतमबुद्धनगर)

पत्रांक: 1874 / 35-1, गौतमबुद्धनगर, दिनांक 21 अप्रैल, 2026

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,  
गौतमबुद्धनगर।

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0-332/2024, ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक-5305/35-1, दिनांक 18.04.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0-332/2024 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 में उल्लिखित बिन्दुओं पर आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक-1386/35-1, दिनांक 24.01.2026 द्वारा प्रेषित की गयी थी, जो आपके कार्यालय के पत्रांक-3935/35-1, दिनांक 27.01.2026 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नौएडा को प्रेषित की गयी थी। पुनः आपके सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दुवार विस्तृत आख्या निम्न प्रकार है:-

1. प्रकरण में काटे गये वृक्षों की संख्या के सम्बन्ध में दिनांक 05.07.2024 को उपस्थित वन विभाग, प्रदूषण विभाग, नौएडा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त जांच की गयी थी (संयुक्त जांच रिपोर्ट संलग्न) (संलग्नक-1), उक्त स्थल पर पातित वृक्षों का आकलन उक्त भूमि से सटे स्थल एवं इस खड़े वृक्षों में सैपलिंग प्लॉट (16X6M<sup>2</sup>) बनाकर किया गया। उक्त आकलन के अनुसार प्रकरण में प्रतिबन्धित प्रजातियों के कुल 20 वृक्षों का अवैध पातन आकलित किया गया। प्रतिबन्धित प्रजातियों का आकलन निम्नानुसार है:-

| क्र0सं0 | प्रतिबन्धित प्रजाति का नाम | संख्या |
|---------|----------------------------|--------|
| 1       | नीम                        | 16     |
| 2       | बेल                        | 1      |
| 3       | आम                         | 2      |
| 4       | पीपल                       | 1      |
|         | योग                        | 20     |

वास्तविक पातित टुंठ मौके पर न मिलने के कारण Trunk area दिया जाना सम्भव नहीं है। ओ0ए0 नं0-147/2024, हरदीप शर्मा बनाम रमेश चन्द्र आर्या व अन्य मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.12.2024 के पृष्ठ सं0-29 के नोट में वर्णित है कि "If the GBH of the tree is not reported, then the average GBH of a mature tree of the respective species shall be taken in to consideration for calculation of Trunk Area of the tree. In case the GBH/diameter is not available then the average GBH/diameter of the respective species shall be taken in to account."

तत्क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उ0प्र0, लखनऊ के आदेश सं0-92/12-3(V), दिनांक 22.09.2020 जो कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0-24/81-5-2020-07-93, दिनांक 07.01.2020 के आलोक में प्रतिबन्धित प्रजातियों के समुपयोज्य व्यास (Exploitable diameter) के सन्दर्भ में निर्गत किया गया है अथवा अन्य सुसंगत आधार का उपयोग किया जा सकता है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उ0प्र0, लखनऊ की प्रति संलग्न है। उक्त पत्र में प्रकरणगत प्रतिबन्धित प्रजातियों का समुपयोज्य व्यास निम्नवत् वर्णित है:-



| क्र०सं० | प्रजाति | प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्य योजना, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश<br>दिनांक 22.09.2020 के अनुसार समुपयोज्य व्यस (से०मी०) |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | नीम     | 50                                                                                                                             |
| 2       | बेल     | 50                                                                                                                             |
| 3       | आम      | 60                                                                                                                             |
| 4       | पीपल    | 120                                                                                                                            |

2. Species Factor, Condition Factor, Location Factor के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत् है:-

(a) Species Factor: - There are no data available for species factor with regard to sepcies. RO, PCB can calculate this as the deem suitable.

(b) Condition Factor - ओ०ए०-147/2024 के आदेश दिनांक 04.12.2024 के पैरा सं०-B.2 में Condition Factor हेतु निम्नवत् वर्णित किया गया है:-

| Class     | Tree Health Characteristics                                                                                       | Score |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Excellent | Root plate is undisturbed, trunk is sound and solid. Excellent vigour with well-formed canopy                     | 1.0   |
| Good      | Moderate damage and defects in root plate, trunk and canopy                                                       | 0.75  |
| Poor      | Major (more than 50%) damage and defects in root plate, trunk and canopy which would be very difficult to restore | 0.5   |

**Note:** - If a felt tree is not found at site, then the condition, factor shall be taken as Good. If tree is found felt and it is difficult to find the condition, the decision will be taken based on surrounding habitat and the time series of satellite image like google images etc.

Since the felled tree was not found on site so as per order date 04.12.2024 in OA No-147/2024 the condition factor can be taken as good.

(c) Location Factor - ओ०ए०-147/2024 के आदेश दिनांक 04.12.2024 के पैरा सं०-B.3 में Location Factor हेतु निम्नवत् वर्णित है:-

| Site location                                                                                                         | Score |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tree located in wild life sanctuaries, national Parks, Conservation Reserve, RF/PF, Eco sensitive Zone, Van Panchayat | 1.0   |
| Tree located in Nagar Nigam Area                                                                                      | 0.85  |
| Tree located in Nagar palika Area                                                                                     | 0.75  |
| Tree Located in Nagar Panchayat Area                                                                                  | 0.65  |
| Location in rural landscapes. Higher score to be given to trees 0.50 based on their proximity to commercial areas     |       |

It is informed that the tree is not located in Wildlife Sanctuaries, National Parks, Conservation Reserve, RF/PF, Eco Sensitive Zone & Van Panchayat. The tree felling location falls in notified area as Noida authorities. Hence RO, PCB can pick the score accordingly from the table.

3. Cost Factor के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नर्सरी में पौधों के मूल्य के सम्बन्ध में प्रचलित पत्र की प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)। प्रकरणगत प्रति प्रजातियों के नर्सरी मूल्य उक्त पत्रानुसार निम्नवत् है:-

| क्र०सं० | पौधों की श्रेणी                                                                  | प्रस्तावित विक्रय दर |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | एक वर्षीय पौध                                                                    |                      |
| (अ)     | थेली                                                                             | 7.00                 |
| (ब)     | पिण्डी                                                                           | 15.00                |
| 2       | दो वर्षीय पौध                                                                    |                      |
| (अ)     | थेली                                                                             | 9.00                 |
| (ब)     | पिण्डी                                                                           | 23.00                |
| 3       | शोभाकार पौध (गुलमोहर, जैकरैण्डा), अमलतास, सिल्वरओक, पेल्टाफोरम, बोरेनविलिया आदि) | 23.00                |
| 4       | अतिविशिष्ट पौध (अशोक, पेण्डुला, सीता अशोक, नीलश्री आदि)                          | 45.00                |



|     |                                          |       |
|-----|------------------------------------------|-------|
| 5   | क्लोनल विधि द्वारा उगाये गये             |       |
| (अ) | शीशम                                     | 9.00  |
| (ब) | यूकेलिप्टस, पॉपलर                        | 24.00 |
| 6   | हार्डटेक पौधशाला में उगायी जाने वाली पौध | 10.00 |
| 7   | 6 से 12 फीट ऊंची पौध                     | 80.00 |

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तदनुसार Cost Factor की गणना कर सकते हैं।

4. Royalty Value के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ के पत्रांक-1508/22-1, दिनांक 02.11.2020 द्वारा निर्गत की गयी दरों की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-3) क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तदनुसार Royalty Value की गणना कर सकते हैं।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय



क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
दादरी रेंज, गौतमबुद्धनगर।



## संयुक्त 474 जॉच रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 332/2024 A113 One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 03-04-2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की पत्र संख्या 7302/35-1 दिनांक 20-06-2024 के अनुपालन में शिकायत महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर, सेक्टर-110 नोएडा द्वारा अवैध रूप से पेड काटने एवं गौतमबुद्धनगर के सेक्टर-104, नोएडा में स्थित गुा हाउसिंग सोसायटी से सटे भूखण्ड पर ग्रीन बेल्ट को नष्ट कर उस पर अवैध निर्माण करने की शिकायत पर दिनांक 26-06-2024 को संयुक्त जॉच की गयी। संयुक्त जॉच में प्राप्त हुआ कि सेक्टर-104, नोएडा में मौके 0.51 हे0 आश्रम की भूमि पर जो0सी0वी0 के माध्यम से पेड निर्माण करने हेतु मुख्यतः सूबबूल, प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा, सिरस, नीम, बेल, आम पीपल आदि प्रजाति के कई वृक्षों का बिना अनुमति पातन किया गया, जिसका आकलन उक्त भूमि से सटे स्थल एवं इस खंडे वृक्षों में सम्यक्त प्लांटिंग (16X16 मीटर) किया गया। सैपलिंग के आधार पर पातित वृक्षों में से सालह वृक्ष नीम, एक बेल, दो आम, एक पीपल, प्रतिबंधित प्रजाति के पाये गये। उक्त समस्त वृक्ष महर्षि योगी आश्रम ट्रस्ट, महर्षि नगर की निजी भूमि पर स्थित थे।

तत्काल विभागीय कार्यवाही करते हुए वन अपराध संख्या 08/2024-25 इजरा कर वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कर प्रतिकर रू0 2,00,000.00 प्राप्त किया गया एवं उ0प्र0 अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 3/28 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल लाते हुए रू 50000.00 प्राप्त किया गया। कुल प्रतिकर यस बैंक द्वारा जारी डीमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 253435 दिनांक 04-07-2024 द्वारा रू0 2,50,000.00 प्राप्त कर जमा कराया गया।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-1. भूमि अभिलेख की प्रति।

2. प्रतिकर प्राप्त करने संबंधी आदेश की प्रति।

3. फोटोग्राफ।

Amikg.  
RFO, Badli

Ganap  
05/07/2024  
HD (H08)  
NOLDA

05/07/2024  
RFO-CL.

5/7/24  
PRASHANT KUMAR  
(JAN DAROGA)

Amikg.  
05/07/2024  
(P.P. Singh)  
U.P. Billiton (Govt) P.O.  
NOLDA

पत्रांक 11/33-3/35 दिनांकित। दिनांक 05-07-24

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Amikg.  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
बादरी



प्रेषक,  
02 MAY 2016

संजीव सरन,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख वन संरक्षक,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल, 2016

विषय:- वन विभाग की पौधशालाओं से बिक्री किये जाने वाले पौधों के विक्रय मूल्य का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-जी-914/4-20 (विक्रय मूल्य) दिनांक 06-1-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-293/14-5-2014-67/87-टीसी, दिनांक 16-6-2014 द्वारा पूर्व में उपर्युक्त के संदर्भ में विक्रय मूल्य निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 06-1-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से वन विभाग की पौधशालाओं से विक्रय किये जाने वाले पौधों के विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

| क्र०सं<br>0 | पौधों की श्रेणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रस्तावित विक्रय दर (मजदूरी रु०<br>161/- प्रतिदिन) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                   |
| 1           | एक वर्षीय पौध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|             | (अ)-थैली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.00                                                |
|             | (ब)-पिण्डी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.00                                               |
| 2           | दो वर्षीय पौध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
|             | (अ)-थैली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.00                                                |
|             | (ब)-पिण्डी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23.00                                               |
| 3           | शोभाकार पौध (गुलमोहर, जैकरेण्डा) अमलतास,<br>सिल्वर ओक, पेल्टोफोरम, बोगेनविलिया आदि)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23.00                                               |
| 4           | अतिविशिष्ट पौध (अशोक पेण्डुला, सीता अशोक,<br>मौलश्री आदि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45.00                                               |
| 5           | क्लोनल विधि द्वारा उगार गए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
|             | (अ)-शीशम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08.00                                               |
|             | (ब)-यूकेलिप्टस, पोपलर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.00                                               |
| 6           | हाईटेक पौधशाला में उगायी जाने वाली पौध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00                                               |
| 7           | 8 से 12 फीट लंबी पौध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80.00                                               |
|             | नोट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|             | 1-एक वर्षीय एवं दो वर्षीय पिण्डी पौध हेतु प्रस्तावित दरों में पिण्डी खुदान व्यय रु० 3.81 प्रति पौध सम्मिलित है।                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
|             | 2-अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, उ०प्र० कानपुर ने अपने पत्रांक- 754/जी०अ००, दिनांक 04-1-2016 में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में जो मजदूरी के दरों में वृद्धि की गयी है वह काफी कम होने के कारण पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-293/14-5-2014-67/87-टीसी, दिनांक 16-6-2014 द्वारा क्लोनल पौध व हाईटेक पौधशाला में उगाई जाने वाली पौध की दर को यथावत रख जाना उचित होगा। |                                                     |

3438

RECEIVED

01 May

28/4/16

(2)

2- वृहद वृक्षारोपण हेतु अधिक से अधिक पौध उठान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया जाय कि किसानों की मांग के अनुसार ही विभिन्न प्रजातियों के पौधों का उगान किया जाये।

3- उपरोक्त विक्रय दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-153/दस-16, दिनांक 06-4-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव सरन)  
प्रमुख सचिव  
१-

संख्या-78(1)/14-5-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर-प्रदेश शासन।
- 3- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से परिचालित करने का कष्ट करें।
- 4- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर-प्रदेश।
- 5- संयुक्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6- महालेखाकार-11, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 7- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- डायरेक्टर, डिफेन्स लैण्ड कन्ट्रोल्मेन्ट मिनिस्ट्री आफ डिफेन्स, सेन्ट्रल कमान्ड, कन्ट्रोल्मेन्ट, लखनऊ।
- 10- समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 11- वित्त (ई-7) अनुभाग।
- 13- गार्ड फाइल/वन अनुभाग-5

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)  
विशेष सचिव



कार्यालय: वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ

(223/1, सिविल लाइन, मेरठ-250001)

स्थाई आदेश संख्या: 1508 / 22-1, मेरठ, दिनांक 02/11/2020

वृक्षों एवं जलौनी लकड़ी को अनुसूचित दरों के पुनरीक्षण निर्धारण- आदेश

इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या- 01/22-3 दिनांक 25.02.2016 द्वारा वृक्षों एवं जलौनी लकड़ी की अनुसूचित दरों का पुनर्मूल्यन कर निर्धारण किया गया था। वर्ष 2016 में निर्धारित अनुसूचित दरों में प्राप्त रायल्टी एवं बाजार दरों में अप्रत्याशित वृद्धि हो चुकी है। अतः वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की दरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में पाये जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के हरे (खड़े या उखड़े) ठोस वृक्षों एवं जलौनी लकड़ी के लिये पुनर्मूल्यांकन करते हुए दरों का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है। ये दरें तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी:-

**तालिका नं-1**

| क्र.सं. | वृक्षों की प्रजाति                                    | विभिन्न सेन्टीमीटर व्यास वर्ग के वृक्षों की अनुसूचित दरें (रुपये में) |       |       |       |       |       |        |        |       |           |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-----------|
|         |                                                       | 0-10                                                                  | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70  | 70-80  | 80-90 | 90 से ऊपर |
| 1       | शीशम                                                  | 75                                                                    | 250   | 2610  | 7670  | 15360 | 25500 | 38360  | 54000  | 72190 | 92810     |
| 2       | जामुन                                                 | 110                                                                   | 320   | 1920  | 3960  | 11540 | 19180 | 28770  | 33120  | 37470 | 0         |
| 3       | सागौन                                                 | 850                                                                   | 1870  | 4610  | 10220 | 37120 | 65190 | 101360 | 145020 | 0     | 0         |
| 4       | खैर                                                   | 193                                                                   | 750   | 8839  | 20612 | 37616 | 58228 | 80153  | 0      | 0     | 0         |
| 5       | आम                                                    | 220                                                                   | 430   | 3650  | 10370 | 20720 | 34640 | 51420  | 60680  | 70350 | 0         |
| 6       | शहतूत                                                 | 32                                                                    | 47    | 53    | 588   | 956   | 1281  | 1628   | 0      | 0     | 0         |
| 7       | पापड़ी                                                | 42                                                                    | 105   | 1008  | 3980  | 5901  | 8211  | 10910  | 12527  | 0     | 0         |
| 8       | पीपल, नीम, गोल्डमोहर, अर्जुन, लिसौडा, बकैन, अशोक, आदि | 60                                                                    | 140   | 1050  | 2530  | 4770  | 7720  | 11510  | 14740  | 0     | 0         |
| 9       | कोकाट (अन्य)                                          | 63                                                                    | 153   | 778   | 1953  | 3906  | 6630  | 9758   | 13080  | 0     | 0         |
| 10      | सुवर्ण, अमलतास                                        | 50                                                                    | 200   | 810   | 1787  | 3574  | 6505  | 9746   | 0      | 0     | 0         |
| 11      | दबूल, ज्यूलीपलौरा (छोटे आकार के वृक्ष प्रजाति)        | 44                                                                    | 178   | 744   | 1632  | 3252  | 5916  | 8869   | 0      | 0     | 0         |
| 12      | कामल काष्ठ, सेमल, सिरस, गूलर, मलबरी, दरगद, पोपलर आदि  | 47                                                                    | 105   | 683   | 2216  | 4568  | 7959  | 11645  | 17840  | 0     | 0         |

| युकेलिप्टस   | व्यास वर्ग सेमी. में |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              | 0-5                  | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 |
| दर (रु. में) | 30                   | 70   | 290   | 580   | 1060  | 1600  | 2430  | 3870  | 4870  | 5800  | 6880  |

गो को जलौनी लकड़ी:-

रुपये 575.00 प्रति 478 मीटर (गृह काष्ठ)

रुपये 1150.00 प्रति घनमीटर (कठोर काष्ठ)

- उपरोक्त दरें केवल हरे (हरे या उखड़े) ठोरा (साउण्ड) वृक्षों के लिये मान्य होगी। सूखे (सूखे या उखड़े) वृक्षों की दरें उपरोक्त दरों का  $3/4$  तथा योग्य (फिट) और अयोग्य (अनफिट) हरे (खड़े या उखड़े) वृक्षों की दरें क्रमशः  $2/3$  तथा  $1/3$  होगी।
- खैर की दरें (खड़े या उखड़े) योग्य (फिट) वृक्षों के लिये है। अयोग्य (अनफिट) वृक्षों की दरें योग्य (फिट) वृक्षों की दरों का  $1/2$  होगी।

**पातित वृक्षों के प्रकाष्ठ की अनुसूचित दरों का पुनरीक्षण एवं निर्धारण**

उक्त प्रकाष्ठ (सी-1 एवं सी-17) एवं वन निगम के प्रकाष्ठ की किस्म में कोई अन्तर नहीं होता है। वर्ष 2007 के पातित वृक्षों का प्रकाष्ठ की अनुसूचित दरों का पुनरीक्षण एवं निर्धारण के आधार को ध्यान में रखते हुए निम्न तालिकाओं में प्रजातिवार आधार मूल्य निर्धारण किया जाता है:-

**तालिका नं०-2**

**शीशम गोल प्रकाष्ठ का आधार मूल्य**

| क्र०स० | लम्बाई (मीटर में) | प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रु० (प्रति घ०मी०)<br>मध्य घेरी (से०मी० में) |       |        |         |            |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------------|
|        |                   | 31-60                                                                         | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151 से ऊपर |
| 1      | 0.95              | 6720                                                                          | 15245 | 19050  | 20965   | 24710      |
| 2      | 1.25              | 6720                                                                          | 15245 | 21360  | 21825   | 24710      |
| 3      | 1.55              | 9880                                                                          | 17045 | 21825  | 22110   | 24710      |
| 4      | 1.85              | 10910                                                                         | 18675 | 22110  | 25445   | 32925      |
| 5      | 2.15              | 13030                                                                         | 21660 | 25560  | 29250   | 34390      |
| 6      | 2.45              | 13040                                                                         | 21660 | 25710  | 29250   | 36000      |
| 7      | 2.75              | 15040                                                                         | 21690 | 28445  | 29250   | 37370      |
| 8      | 3.05              | 15040                                                                         | 21690 | 28445  | 29250   | 37370      |
| 9      | 3.35              | 15700                                                                         | 22350 | 32760  | 33225   | 39450      |
| 10     | 3.65              | 15700                                                                         | 22350 | 32760  | 33225   | 39450      |
| 11     | 3.95              | 16110                                                                         | 22950 | 34275  | 34595   | 39975      |
| 12     | 4.25              | 17380                                                                         | 24770 | 34660  | 35270   | 40990      |
| 13     | 4.55 तथा अधिक     | 17380                                                                         | 24770 | 35345  | 35870   | 42970      |

**तालिका नं०-3**

**शीशम चिरान प्रकाष्ठ का आधार मूल्य**

| क्र०स० | लम्बाई (मीटर में) | प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रु० (प्रति घ०मी०)<br>क्रास सैक्शन (चौड़ाई अथवा गोलार्ध से०मी० अधिक हो (से०मी० में) |       |        |         |         |         |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|---------|
|        |                   | 2                                                                                                                    | 5.18  | 8.1.11 | 11.1.15 | 15.1.24 | 24.1.30 |
| 1      | 0.65              | 9525                                                                                                                 | 13331 | 16631  | 20794   | 22913   | 26981   |
| 2      | 0.95              | 9525                                                                                                                 | 13331 | 16631  | 20794   | 22913   | 26981   |
| 3      | 1.25              | 10013                                                                                                                | 17700 | 20175  | 23306   | 24113   | 26981   |
| 4      | 1.55              | 13500                                                                                                                | 17700 | 20175  | 23775   | 24113   | 35925   |
| 5      | 1.85              | 17381                                                                                                                | 20700 | 32894  | 24113   | 27769   | 36231   |
| 6      | 2.15              | 18506                                                                                                                | 24488 | 27188  | 27881   | 31694   | 39263   |



|      |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.45 | 18506 | 24488 | 27188 | 27881 | 31894 | 39263 |
| 2.75 | 20063 | 26906 | 29794 | 31031 | 33750 | 40763 |
| 3.05 | 20063 | 26906 | 29794 | 31031 | 33750 | 40763 |
| 3.35 | 20588 | 27844 | 30844 | 33544 | 36244 | 43031 |
| 3.65 | 20588 | 27844 | 30844 | 33544 | 36244 | 43031 |
| 3.95 | 21131 | 28331 | 31463 | 34106 | 37706 | 43613 |
| 4.25 | 21544 | 28331 | 31463 | 34613 | 38475 | 44794 |
| 4.55 | 22069 | 28800 | 31931 | 35663 | 39863 | 44794 |
| 4.85 | 22069 | 28800 | 32513 | 36169 | 40425 | 45225 |
| 5.15 | 23006 | 30263 | 33544 | 37313 | 40950 | 46313 |
| 5.45 | 23550 | 30731 | 34106 | 37800 | 42600 | 47400 |
| 5.75 | 24019 | 31200 | 34594 | 38869 | 45638 | 48506 |

#### तालिका नं-4

#### आम गोल प्रकाष्ठ का आधार मूल्य

| क्र०स० | लम्बाई (मीटर में) | प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रु० (प्रति घ०मी०)<br>मध्य घेरी (से०मी० में) |       |        |         |            |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------------|
|        |                   | 31-60                                                                         | 61-90 | 90-120 | 121-150 | 151 से ऊपर |
| 1      | 0.95              | 2290                                                                          | 3600  | 6109   | 6357    | 6684       |
| 2      | 1.25              | 3055                                                                          | 5837  | 9441   | 9713    | 9928       |
| 3      | 1.55              | 3055                                                                          | 5837  | 9441   | 9821    | 10040      |
| 4      | 1.85              | 4554                                                                          | 7638  | 10360  | 12192   | 12413      |
| 5      | 2.15              | 5347                                                                          | 8893  | 13231  | 15521   | 15794      |
| 6      | 2.45              | 5347                                                                          | 8893  | 13231  | 15521   | 15794      |
| 7      | 2.75              | 5347                                                                          | 11184 | 16558  | 18058   | 18276      |
| 8      | 3.05              | 5347                                                                          | 11184 | 16558  | 18058   | 18549      |

#### तालिका न०-5

#### कोमल काष्ठ प्रजातियों का आधार मूल्य

| क्र०स० | प्रजाति                    | आधार मूल्य रु० प्रति घ०मी०<br>(बक्कल सहित) |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1      | सेमल                       | 3360                                       |
| 2      | सिरस                       | 10504                                      |
| 3      | गूलर                       | 1843                                       |
| 4      | पेपर मलबरी                 | 218                                        |
| 5      | पौपलर (30-40) से०मी० गोलाई | 4127                                       |

#### तालिका न०-6

#### यूकेलिप्टस गोल प्रकाष्ठ का आधार मूल्य

| गोलाई से०मी० में मूल्य रुपये में |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 60 से०मी० गोलाई तक               | 60 से०मी० से ऊपर गोलाई तक |
| 4637.00                          | 5713.00                   |

तालिका 10-1

## समस्त कोकाट प्रजातियां (तालिका 1 के क्र०स० 8,9,10 की प्रजातियां)

| क्र०स० | लम्बाई (मीटर में) | प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य रु० (प्रति घ०मी०)<br>मध्य घेरी (से०मी० में) |       |        |         |            |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------------|
|        |                   | 31-60                                                                         | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151 से ऊपर |
| 1      | 0.95              | 2071                                                                          | 3260  | 5504   | 5741    | 6005       |
| 2      | 1.25              | 2773                                                                          | 5278  | 8507   | 8752    | 8938       |
| 3      | 1.55              | 2773                                                                          | 5296  | 8507   | 8854    | 9035       |
| 4      | 1.85              | 4100                                                                          | 6894  | 9466   | 10995   | 11203      |
| 5      | 2.15              | 4823                                                                          | 8006  | 11885  | 13970   | 14248      |
| 6      | 2.45              | 4823                                                                          | 8006  | 11885  | 13970   | 14248      |
| 7      | 2.75              | 4823                                                                          | 10078 | 14915  | 16277   | 16472      |
| 8      | 3.05              | 4823                                                                          | 10078 | 14915  | 16277   | 16722      |
| 9      | 3.35              | 5852                                                                          | 10189 | 17403  | 18404   | 18654      |
| 10     | 3.65              | 5852                                                                          | 10189 | 17403  | 18404   | 18654      |
| 11     | 3.95              | 5852                                                                          | 11704 | 17903  | 18876   | 19126      |
| 12     | 4.25              | 5852                                                                          | 11704 | 17903  | 18876   | 19126      |
| 13     | 4.55 तथा अधिक     | 6186                                                                          | 12079 | 18407  | 18876   | 19126      |

टिप्पणी-1--क-द्वितीय श्रेणी के प्रकाष्ठ का आधार मूल्य उक्त प्रथम श्रेणी के मूल्य का 75 प्रतिशत होगा।

ख-तृतीय श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ के मूल्य का 50 प्रतिशत होगा।

ग-चतुर्थ श्रेणी के प्रकाष्ठ का मूल्य प्रथम श्रेणी के प्रकाष्ठ के मूल्य का 35 प्रतिशत होगा।

2- यह सम्भव और व्यवहारिक है कि लट्ठों की नपत तालिकाओं में दर्शायी गयी लम्बाई की न हो अतः इसके लिए -5 से०मी० का फैक्टर प्रयोग किया जायेगा।

3- वन विभाग के जब आधार मूल्य परिवर्तित होंगे उक्त मूल्य स्वतः परिवर्तित हो जायेंगे जिसके परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय से दी जायेगी।

प्रकाष्ठ का वर्गीकरण

(प्रकाष्ठ की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी का आंकलन)

पातित (कटे हुए) लट्ठों में निम्न 15 दोष पाये जाते हैं। जिनके अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के प्रकाष्ठ का आंकलन किया जाना है:-

1. टेडापन (BEND) : प्रकाष्ठ के दोनों सिरों को जोड़ने वाली रेखा से अधिकतम हटाव।
2. छेद (HOLE) : कीड़ों द्वारा छेद के व्यास तथा अधिक छेद होने पर एक वर्ग से०मी० में छेदों की संख्या अनुसार माप की जाती है।
3. दरार (CRACK) : प्रकाष्ठ के रेशों में दरार।
4. उतार (TAPER DEFECT) : कोई भी असमान्यता व अनियमितता जिससे कि प्रकाष्ठ के मूल्य में कमी हो जाती है, मजबूती कार्य करने का गुण बाहरी दिखावट अथवा प्राप्ति पर कुप्रभाव के फलस्वरूप।
5. दीर्घवृत्त (ELLIPSE) : न्यूनतम व्यास अधिकतम का 80 प्रतिशत या उससे कम होने पर।
6. भीमरी छाल (IN-BARK) : बाढ़ की बढत के फलस्वरूप प्रकाष्ठ में दबी छाल।
7. गुमटेदार (KNOBBY) : छोटी-छोटी बहुत सी गांठों वाला लट्ठा।



481  
कनाचूर (SHATTER) : गिरने के समय आयी चोट से।

दोष माप इकाई (UNIT & DEFECT) : किसी दोष के प्रकाष्ठ में हुई गूल्य में कमी की परिणाम सूचक इकाई।

1. घाव (WOUND) : बढ़ते पेड़ पर लगी चोट जो बाद में भर गयी हो।
1. उतार (TAPER) : पेड़ में ऊपर की ओर की हुई व्यास में कमी।
12. सिरा फटन हार्ट शेक व स्टार शेक (END-CRACK, HEART-SHAKE & STARSHAKE)
13. कम शेक व रिंग शेक (CUP-SHAKE & RING-SHAKE)
14. गांठें (KNOTE) :
15. दोड़र सड़न व गलन (ROT) :

उक्त चारों श्रेणियों के वर्गीकरण हेतु दोषों की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी-

| प्रकाष्ठ श्रेणी | प्रति 2.5 मी० लम्बे लट्ठे में दोषों की अधिकतम सीमा |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| प्रथम           | 3                                                  |
| द्वितीय         | 5                                                  |
| तृतीय           | 9                                                  |
| चतुर्थ          | 9 से अधिक                                          |

  
(गंगा प्रसाद)  
02/11/20

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
आ०वा०, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 1508 / 22-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, वन निगम लखनऊ।
- 3- समस्त मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र०।
- 4- समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त मेरठ।

  
(गंगा प्रसाद)  
02/11/20

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,  
आ०वा०, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

नगरीय प्रमाण मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं वनीय योजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक-92 / 12-3 (V) लखनऊ, दिनांक, सितम्बर 22, 2020

को में

1. सगस्त मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ।
2. सगस्त वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ।

गोप्य- उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या  
24/81-5-2020-07-83 दिनांक 07 जनवरी, 2020।

होदय,

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में निम्नानुसार प्राविधानित किया गया है-

"प्रतिष्ठित प्रजातियों के वृक्ष, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक अपरिहार्य परिस्थितियों यथा- युद्ध, सूख  
रोग हो या चूरा रात हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिये बाध हो या सरकार द्वारा अनुमोदित विकास  
कार्य के निष्पादन के लिए इसका निषेध किया जाना आवश्यक हो या समुपयोज्य व्यास प्राप्त कर लिया हो अथवा यदि  
किसी कृत्रिम तरीके से सारगर्भित रूप से बोध हो गयी हो और ऐसे वृक्ष को निषेधित करने के लिए सदाग प्राधिकारी को  
लेखित में अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, तो शिवाय निषेधित नहीं किए जायेंगे। समुपयोज्य व्यास के लिए प्रमुख वन  
परिचर, अनुश्रवण एवं कार्य कोष, उत्तर प्रदेश जैसा और कम जोड़ित हो, समग्र-समय पर मार्गदर्शित शिवाय जारी  
कर लयाता है।"

उपरोक्त प्राविधानों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 22/- दिनांक 15 जुलाई,  
2020 द्वारा 29 प्रजातियों का समुपयोज्य व्यास निर्धारित किया गया था।

उक्त निर्धारण के पश्चात् निर्धारित मानकों के विरुद्ध प्रत्यार्थन प्राप्त हुये कि निर्धारित  
किया गया समुपयोज्य व्यास बहुत अधिक है इसमें संशोधन की मांग की गयी। इसी क्रम में सम्यक  
विचारोपसन्त शासनादेश में उल्लिखित 29 प्रजातियों का समुपयोज्य व्यास (Exploitable diameter)  
पूर्व के आदेशों को अतिक्रमिit करते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है-

| क्र०सं० | प्रजाति का नाम | समुपयोज्य व्यास Diameter cm. |
|---------|----------------|------------------------------|
| 1       | आम (दश/तुफानी) | 60                           |
| 2       | नीम            | 50                           |
| 3       | साल            | 90                           |
| 4       | महुआ           | 60                           |
| 5       | बीजारात        | 60                           |
| 6       | पीपल           | 120                          |
| 7       | बरगद           | 120                          |
| 8       | गूलर           | 100                          |
| 9       | पाकड़          | 100                          |
| 10      | अर्जुन         | 40                           |
| 11      | पलाश           | 60                           |
| 12      | येल            | 50                           |
| 13      | धिराजी         | 60                           |
| 14      | धिरनी          | 60                           |
| 15      | कैश            | 60                           |
| 16      | धमली           | 100                          |
| ✓ 17    | जामुन          | 40                           |
| 18      | अराना          | 80                           |

Continued with 3d



|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 19 | पुरुष       | 80 |
| 20 | श्रीम       | 60 |
| 21 | भिलावा      | 50 |
| 22 | गुन         | 60 |
| 23 | सलई         | 50 |
| 24 | हल्लू       | 80 |
| 25 | यकली / वरपट | 50 |
| 26 | पी          | 50 |
| 27 | खैर         | 30 |
| 28 | शीशम        | 40 |
| 29 | सागौन       | 30 |

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

उपरोक्त निर्धारित समुपयोग्य वारा के विभिन्न आयागों, प्रभावों की 06 माह उपरान्त की जायेगी। एवं आवश्यक होने पर संशोधित आदेश जारी किये जायेंगे।

भारतीय

(अजय कुमार)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
अनुश्रवण एवं कार्य योजना  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 92

/समदिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, और विभागाध्यक्ष उ०प्र०, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, उ० प्र० लखनऊ।

(अजय कुमार)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
अनुश्रवण एवं कार्य योजना  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 92

/समदिनांकित।

प्रतिलिपि- समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों/प्रभागीय निदेशकों को उपरोक्तानुसार अ कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

पत्रांक 1737 / 20-11-2020 दिनांक 03-11-2020

प्रतिलिपि समस्त प्रभागीय वन अधिकारियों/प्रभागीय निदेशकों को उपरोक्तानुसार अ कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
अनुश्रवण एवं कार्य योजना  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
अनुश्रवण एवं कार्य योजना  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कोर्ट केस/अति महत्वपूर्ण

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, ई-1, सै0-1, नौएडा।

पत्रांक: 319 /35-1, गौतमबुद्धनगर, दिनांक 17- जुलाई 2026

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
नौएडा।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ0ए0 नं0-332/2024, ATS One Hamlet Apartment Owner Association Vs. Government of Uttar Pradesh & ors. में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1- इस कार्यालय के पत्रांक-5525/35-1, दिनांक 30.04.2026।  
2- आपके कार्यालय का पत्रांक-654/L-192/26, दिनांक 16.07.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्रों के क्रम में आपके द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या चाही गयी है। उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि सन्दर्भित पत्र (पत्रांक-5525/35-1, दिनांक 30.04.2026) के माध्यम से आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है, जो पुनः संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Rajesh

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,  
✓ गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 319 /35-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, मेरठ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ वृत्त, मेरठ।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

Rajesh

प्रभागीय वनाधिकारी,  
गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग,  
✓ गौतमबुद्धनगर।